

नती बबली कुमारी, कार्यपालक दण्डाधिकारी, बुण्डू(राँची)



आदेश पत्रक

वाद सं०- म- 114 / 2018

धारा-107 द०प्र०सं०

शिविन्द कृष्ण

बनाम खतना कुमारा वगैरा

आदेश की तारीख एवं सं०	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्यवाही एवं दिप्पनी तारीख सहित
	<p align="center">अभिलेख सं०-एम- <u>114</u> / 2018 में द०प्र०सं० की धारा-107 के तहत थाना प्रगारी <u>खीनापतु (सिद्धी नदी)</u> के अप्राथमिकी सं०- <u>38/18</u> दिनांक- <u>08-08-18</u> के द्वारा प्राप्त पुलिस प्रतिवेदन/आवेदन से सूचना मिली है कि <u>शिविन्द कृष्ण का लेका लपल विवाद का निरीक्षण उभय पक्ष में बनाव है।</u></p> <p>जिससे संभावना है कि परिशांति भंग होगी या लोक परिशांति क्षुब्ध होगी या उभय पक्ष/विपक्षी कोई ऐसा असंतोषकारी कार्य करेंगे जिससे परिशांति भंग हो जाएगी या लोक परिशांति क्षुब्ध हो जाएगी।</p> <p>अतः मैं बबली कुमारी, कार्यपालक दण्डाधिकारी, बुण्डू (राँची) उक्त पुलिस प्रतिवेदन से संतुष्ट होकर उभय पक्ष/द्वितीय पक्ष के विरुद्ध द०प्र०सं० की धारा-107 कं अन्तर्गत कार्यवाही आरंभ करती हूँ। उभय पक्ष/द्वितीय पक्ष के विरुद्ध सूचना निर्गत करें कि वे कारण दर्शित करें कि उन्हें एक वर्ष तक परिशांति कायम रखने के लिए उससे/उनसे प्रत्येक को 1000(एक हजार) रू० का बन्ध पत्र उसी राशि के दो जमानतदारों के साथ राशि दाखिल करने हेतु आदेश क्यों नहीं दिया जाय।</p> <p align="center">अभिलेख तिथि <u>05/10/18</u> को उपस्थापित करें। लेखापित एवं संशोधित।</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 20px;"> <div data-bbox="319 1702 606 1881"> <p align="center"> कार्यपालक दण्डाधिकारी, बुण्डू (राँची)।</p> </div> <div data-bbox="989 1724 1292 1904"> <p align="center"> कार्यपालक दण्डाधिकारी, बुण्डू (राँची)।</p> </div> </div>	

10-4-19

अभिलेख उपस्थापित / उभय पक्ष अनुपस्थित / उभय पक्ष के अधिवक्ता द्वारा मौखिक रूप से बतलाया गया कि दो पक्ष आग घोट दिव है दिनांक 01-04-19 को है।

15/04/19

01/04/19

अभिलेख उपस्थापित / उभय पक्ष अनुपस्थित दिनांक - 26/04/19 को है।

01/04/19

अनुपस्थित 26-04-19

अभिलेख उपस्थापित / उभय पक्ष अनुपस्थित / उक्त वाद के 6 (छः) माह की अवधि पूरी हो चुकी है अर्थात् वाद कालबाधित हो गया है अतः वाद के अभिलेख की कार्रवाई बन्द की जाती है।

26/04/19